पत्रांक 03 / बजट–02 / 2026 – 04

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा विभाग

प्रेषक,

शिशिर कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।
कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक– 14 / 08 / 2026

द्वारा :– **वित्त विभाग।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह जून, 2026 से अगस्त, 2026 तक के वेतनादि / अतिथि शिक्षक / सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु वेतनादि / गैर–वेतनादि मद में रूपये 1127.34 (एक हजार एक सौ सताईस करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र समानुपातिक सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति एकमुश्त प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक / घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से **सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त** शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन / अतिथि शिक्षक / सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु वेतनादि / गैर वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 1127.34 (एक हजार एक सौ सताईस करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र समानुपातिक सहायक अनुदान की स्वीकृति आगे की कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तो एवं बंधेजों के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् रूप से प्रदान किया गया है :–

(रूपये करोड़ में)

कमांक	विश्वविद्यालय का नाम	वेतनादि मद में स्वीकृत की जा रही राशि इस राशि में (माह जून 2026 से माह अगस्त 2026)	अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान हेतु राशि	वेतनादि मद में कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (स्तम्भ 2+3)	गैर–वेतनादि मद में स्वीकृत की जा रही राशि (माह जून 2026 से माह अगस्त 2026)	वेतनादि / गैर–वेतनादि मद में स्वीकृत की जा रही कुल राशि (स्तम्भ 4+5)
	1	2	3	4	5	6
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	37.81	2.22	40.03	37.62	77.65
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	48.01	3.67	51.68	110.35	162.03
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फपुर	60.31	12.70	73.01	89.14	162.15

4	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	40.91	3.54	44.45	33.16	77.61
5	वीर कुवँर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	40.23	3.61	43.84	61.30	105.14
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	25.62	7.21	32.83	51.93	84.76
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	34.07	3.28	37.35	43.51 (माह जून 2026 से जुलाई 2026 तक)	80.86
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	65.73	9.18	74.91	90.31	165.22
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	17.45	1.91	19.36	21.30	40.66
10	मौलना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	3.03	0	3.03	0	3.03
11	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	68.17	1.65	69.82	32.90	102.72
12	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	16.92	3.92	20.84	7.02	27.86
13	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	20.58	6.91	27.49	10.16	37.65
	कुल राशि	**478.84**	**59.80**	**538.64**	**588.69**	**1127.34**

उपर्युक्त स्वीकृत एवं विमुक्त की जा रही वेतन मद की राशि में NPS मद की राशि भी समाहित कर दी गई है।

स्तम्भ 5 में वर्णित गैर–वेतनादि मद की राशि से उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के साथ–साथ इस अवधि में उदभूत अन्य देय पावनाओं यथा उपादान, अर्जितावकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता इत्यादि का भुगतान किया जा सकेगा।

2. **स्तम्भ 4 एवं 5 में स्वीकृत की जा रही राशि माह जनवरी, 2026 में निर्धारित मंहगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 60 प्रतिशत के आधार भुगतान करने की कार्रवाई तथा वित्त विभाग द्वारा माह जुलाई, 2026 में मंहगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के लागू होने के पश्चात शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन/पेंशन में मंहगाई भत्ता एवं महंगाई राहत को बढ़ाकर स्वीकृत की जा रही इसी राशि से भुगतान करने की कार्रवाई तथा बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।**

3. विभागीय पत्रांक 902 दिनांक 21.05.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जेड0ए0 इस्लामियाँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवान में वर्ष 2022 में नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के वेतन भुगतान इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय भुगतान से पूर्व इन नियुक्तियों के विहित प्रकिया के तहत किये जाने, नियुक्ति शिक्षकों की योग्यता यू0जी0सी0 एवं राज्य सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत होने एवं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा सृजित पदो के अंतर्गत होने वाले आदि के संबंध में संतुष्ट हो लेगा।

4. स्वीकृत की जा रही राशि का विकलन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट शीर्ष अन्तर्गत निम्न रूप से की जाएगी :–

(रूपये करोड़ में)

क0स0	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत की जाने वाली राशि
1	मांग संख्या–54– उच्च शिक्षा विभाग, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघु शीर्ष–102 विश्वविद्यालय को सहायता	0034– पटना वि0वि0	54.2202.03.102.0034.31.04 54.2202.03.102.0034.31.06	0034.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0034.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	40.03 37.62
2		0036–मगध वि0वि0	54.2202.03.102.0036.31.04 54.2202.03.102.0036.31.06	0036.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0036.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	51.68 110.35
3		0037– बी0आर0ए0 बिहार0 वि0वि0	54.2202.03.102.0037.31.04 54.2202.03.102.0037.31.06	0037.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0037.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	73.01 89.14
4		0038– जय प्रकाश वि0वि0	54.2202.03.102.0038.31.04 54.2202.03.102.0038.31.06	0038.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0038.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	44.45 33.16
5		0039– वीर कुवँर सिंह वि0वि0	54.2202.03.102.0039.31.04 54.2202.03.102.0039.31.06	0039.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0039.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	43.84 61.30
6		0041– बी0एन0 मंडल वि0वि0	54.2202.03.102.0041.31.04 54.2202.03.102.0041.31.06	0041.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0041.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	32.83 51.93
7		0042– तिलका मांझी भागलपुर वि0वि0	54.2202.03.102.0042.31.04 54.2202.03.102.0042.31.06	0042.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0042.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	37.35 43.51
8		0043– ललित नारायण मिथिला वि0वि0	54.2202.03.102.0043.31.04 54.2202.03.102.0043.31.06	0043.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0043.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	74.91 90.31

9		0044–कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत वि0वि	54.2202.03.102.0044.31.04 54.2202.03.102.0044.31.06	0044.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0044.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	19.36 21.30
10		0046–मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी वि0वि0	54.2202.03.102.0046.31.04 54.2202.03.102.0046.31.06	0046.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0046.31.06 सहायक अनुदान–गैर–वेतन	3.03 0.00
11		0047–पाटलिपुत्र वि0वि0	54.2202.03.102.0047.31.04 54.2202.03.102.0047.31.06	0047.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0047.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	69.82 32.90
12		0048–पूर्णियाँ वि0वि0	54.2202.03.102.0048.31.04 54.2202.03.102.0048.31.06	0048.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0048.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	20.84 7.02
13		0049–मुंगेर वि0वि0	54.2202.03.102.0049.31.04 54.2202.03.102.0049.31.06	0049.31.04 सहायक अनुदान–वेतन 0049.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	27.49 10.16

(i) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों के लिये विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 द्वारा किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में बजट के समीक्षोपरान्त की गयी है।

(ii) विश्वविद्यालय से प्राप्त आय–व्ययक प्राक्कलन की विभागीय स्तर पर समीक्षा के आलोक में राशि स्वीकृत की जा रही है। शिक्षकेत्तर कर्मी की गणना में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल का निर्धारण करने हेतु विश्वविद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये प्राप्त आय–व्ययक प्राक्कलन एवं गत वर्ष जिस कार्यरत बल के आधार पर राशि स्वीकृत की गयी थी, को आधार बनाया गया है। शिक्षक कर्मी के गणना में Rationalization के आधार पर स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल का निर्धारण करने हेतु विश्वविद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये प्राप्त आय–व्ययक प्राक्कलन एवं गत वर्ष जिस कार्यरत बल के आधार पर राशि स्वीकृत की गयी थी, को आधार बनाया गया है। विश्वविद्यालयों में स्वीकृत बल/कार्यरत बल में से जो भी कम हो, के आधार पर गणना की गयी है।

(iii) मकान किराया भत्ता की गणना वित्त विभाग के पत्रांक 6485 दिनांक 18.06.2024 द्वारा के आधार पर की गयी है एवं शहरी परिवहन भत्ता/चिकित्सा भत्ता आदि की गणना विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 के आधार पर की गयी है।

(iv) पेंशन पुनरीक्षण के आलोक में विश्वविद्यालयों से प्राप्त आय–व्ययक एवं विश्वविद्यालयों के साथ समीक्षा बैठक में स्थिर हुए मंतव्य के आधार पर पूरे वित्तीय वर्ष के सेवान्त लाभ की आकलित राशि में से अबतक स्वीकृत राशि को घटाकर माह जून, 2026 से माह अगस्त, 2026 तक गैर–वेतनादि मद में स्वीकृत की जा रही राशि की गणना की गयी है। माह जून, 2026 से माह अगस्त 2026 तक की राशि को माहवार बाँट कर उपलब्ध बजटीय उपबंध के आधार पर राशि की गणना की गयी है।

(v) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत उपशास्त्री महाविद्यालयों की गणना विभागीय संकल्प संख्या 1501 दिनांक 15.06.2022 के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में की गयी है।

5. (i) **स्वीकृत की जा रही राशि का व्यय 01 माह के अंदर किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि भुगतान एक माह के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद के भुगतान पुनः स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त किया जाएगा एवं राशि अगर तीन माह के अंदर व्यय नहीं होता है तो उक्त राशि को वापस/प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा।**

(ii) **इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक स्रोत एवं अन्य स्रोत की राशि का आंकलन नहीं किया गया है, जिसे बाद में समाहित किया जाऐगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की कमशः धारा 45, 48, 50 एवं धारा 46,49, एवं 51 द्रष्टव्य।**

6. राज्य के सभी विश्वविद्यालय, जिनके अंतर्गत घाटानुदानित महाविद्यालय हैं, उन घाटानुदानित महाविद्यालयों में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन/पेंशन भुगतान के पूर्व यह **सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के संगत प्रावधानों के आलोक में स्वीकृत पदों की विरूद्ध हुई है।**

7. वर्त्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि/गैर वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्त्तो एवं बंधेजो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाऐगा :–

(i) वेतनादि/सेवान्त लाभ का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो **विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हुए हैं।**

(ii) दिनांक 01.01.1996 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम1976 के धारा 58 (10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधी परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत राशि से जिन शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनयम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 35 की उप धारा – 1 (ii) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की **धारा–35 की उप धारा 1 (ii) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।**

(iv) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 में अंकित निदेशों एवं शर्त्तो के आलोक में तथा उक्त संकल्प में स्वीकृत वेतन स्तर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(v) राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 592, दिनांक 06.03.2019 एवं अधिसूचना संख्या 1871 दिनांक 24.08.2019 तथा सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 593 दिनांक 06.03. 2019 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जाएगा।

(vi) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निदशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वांछित अर्हत्ता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(vii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(02) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा ओयाग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(viii) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक–01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिये निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्त्तो का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढ़ील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन

शिक्षकेतर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(ix) पटना विश्वविद्यालय अधिनियम एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा **स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

(x) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(Xi) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से विभाग से आदेश प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(Xii) स्वीकृत की गयी वेतनादि/सेवान्त लाभ की राशि में से देयत्ता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये वेतनादि/बकाये सेवान्त लाभ का भुगतान विभागीय पत्रांक 699, दिनांक 19.03.2019 द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में वेतन सत्यापन कोषांग से पूर्व अंकेक्षण कराकर किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्ति होकर कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(xiii) **स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन सत्यापन कोषांग से अद्यतन वेतन पुर्जा निर्गत होने तक 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने पर सहमति दी जाती है। वैसे सभी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी 01 माह के अंदर विहित प्रपत्र एवं विहित प्रकिया के तहत वेतन सत्यापन हेतु अपना आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।समय के अंदर आवेदन नहीं करने वाले कर्मी का वेतन 03 माह के बाद से अवरूद्ध रहेगा। शिक्षा विभाग का पत्र संख्या–वे0स0को0 4657/2013–57 दिनांक 13.02.15 द्रष्टव्य है।**

स्वीकृत की जा रही राशि का व्यय 01 माह के अंदर किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि भुगतान एक माह के अंदर नहीं होता है तो उसके बाद के भुगतान पुनः स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त किया जाएगा एवं राशि अगर तीन माह के अंदर व्यय नहीं होता है तो उक्त राशि को वापस/प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा। कोई भी भुगतान मनमाने तरीके से (pick and choose) नहीं किया जायेगा और भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।

(xiv) अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापनोपरान्त ही पेंशनादि का भुगतान होगा। वेतन सत्यापन कोषांग से सत्यापन न होने पर औपबंधिक सेवान्त लाभ/पेंशन देय होगा।

(xv) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा अंगीभूत एवं घाटानुदानित महाविद्यालय में स्वीकृत पद अंतर्गत विधिवत् रूप से कार्यरत शिक्षकों का वेतनानुदान देय होगा। घाटानुदानित संबद्धता प्राप्त शास्त्री एवं उपशास्त्री महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को नियमित सेवान्त लाभ का भुगतान सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 9726/2017 डा0 जितेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.07.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में किया जाएगा।

(xvi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जाएगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा –35 (3) तथा 52 (3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामलों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम– 35 (3) एवं 52 (6) के अंतर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि **संबंधित**

विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की **जायेगी** एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

8. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–10(6) में विश्वविद्यालय कुलपति को मात्र स्वीकृत पद पर अनुकम्पा के आधार पर स्वीकृत एवं रिक्त मौलिक पद पर की गयी नियुक्ति ही विधि मान्य है। वर्णित स्थिति में स्वीकृत की जा रही राशि की गणना हेतु, स्वीकृत बल या कार्यरत बल, इसमें से जो भी कम हो को आधार बनाया गया है। विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति स्वीकृत पद पर कार्यरत नहीं है तथा जिनकी सेवा का सामंजन न्यायादेश के आलोक में विधिवत रूप से नहीं किया गया है, उनकी सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किये जाने की कारवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाए। अनियमित तथा अवैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों के वेतनादि के भुगतान की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर नहीं होगी।

9. विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जाएगी।

10. सेवा निवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

11. स्वीकृत की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस0एल0पी0 संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा अन्तर्लीनीकरण किये गए कर्मियों का ही नियमित वेतन भुगतान किया जायगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या 1188/2018 एवं अवमाननावाद संख्या 2199/2018 में दिनांक 11.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिन कर्मियों का सामंजन/अन्तर्लीनीकरण किया गया है, उनके बकाये वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सेवान्त लाभ के लिए विमुक्त की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (C) No 1188/2018 in C.A. No-2703/2017 में दिनांक 12.02.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में उक्त कर्मियों का पेंशन भुगतान भी नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12. राशि की निकासी के कम में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र कोषागार को दिया जाएगाः–

(क) " चतुर्थ चरण अंतर्गत महाविद्यालय में माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/1997 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के पश्चात सामंजित किये गये कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

(ख) " न्यायामूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सिविल अपील संख्या 2703/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निदेश के उपरान्त सामंजित कर्मियों के नियमित वेतन अंतर्गत अन्य अतिरिक्त कर्मियों का विपत्र नहीं है।"

15. वित्त द्वारा निर्गत विभागीय पत्रांक–1757 दिनांक 17.02.2026 में एस0एल0पी0 संख्या–38217/2025 (विकास कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त्त पर दिनांक 20.12.2000 के बाद निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त कर्मियों को वेतन भुगतान इस पत्र के आलोक में किया जाएगा।

13. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में स्वीकृत एवं कर्णाकिंत की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।

15. **पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर पहले होगा। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में भी इसका पालन होगा।**

16. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का व्यय वेतन/पेंशन मद में ही किया जाएगा। अन्य किसी मद में राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

17. **विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो NPS से आच्छादित है, का भुगतान PRAN NO प्राप्त हो जाने के पश्चात एवं NPS के अंतर्गत अनुमान्य कटौतियों के बिना नहीं होगा।**

18. विश्वविद्यालय 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित संपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को निश्चितरूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वैधिक कृत्य ससमय नहीं किये जाने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित कुलपति/कुलसचिव/वित्त परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी की होगी।

19. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 (2) दिनांक 15.10.2007, पत्र संख्या 5374 दिनांक 19.06. 2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक) के पत्रांक टी0एम011–877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ–साथ अल्पसंख्यक/घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत कर्मियों के जून, 2026 से अगस्त 2026 तक के वेतन भुगतान हेतु वेतनादि मद में 538.64 (पाँच सौ अड़तीस करोड़ चौसठ लाख रूपये) मात्र एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर–वेतनादि मद में रूपये 588.69 करोड़ (पाँच सौ अठ्ठासी करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल रूपये 1127.34 (एक हजार एक सौ सताईस करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र की निकासी विकास भवन स्थित सचिवालय कोषागार से CFMS के माध्यम से करते हुये संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है। विश्वविद्यालय अपने पी0एल0 खाते से विहित प्रकिया के तहत CFMS के माध्यम से ही संबंधित कर्मियों को भुगतान करेगा। विश्वविद्यालयों का पी0एल0 खाता संख्या निम्नवत् है:–

कमांक	विश्वविद्यालय का नाम	पी0एल0 खाता संख्या	वेतन मद का लेजर आई०डी०	पेंशन मद का लेजर आई०डी०	अतिथि शिक्षक मद का लेजर आई०डी०
	1	2	3	4	5
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	PTCPLA014	23810	23804	14561
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	GYAPLA008	23805	23803	21995
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	MUZPLA009	23794	23799	14562
4	वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	BJRPLA001	23813	23795	14565
5	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	SRNPLA001	23793	23812	5177
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	MDPPLA004	23809	23806	14564
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	BGPPLA001	23791	23965	1421
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	DBGPLA009	23798	23801	14563
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	DBGPLA011	23796	23811	17334

10	मौलना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	PBBPLA006	23792	-	-
11	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	PTCPLA002	23800	23807	5285
12	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	PRNPLA008	23797	23790	4788
13	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	MGRPLA007	23808	23802	19721

20. राशि CFMS के माध्यम से संबधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस राशि की निकासी पटना, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत करने के पश्चात होगी।

21. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है। राशि का निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खाता के जमा प्रशासक महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ के भुगतान सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त ही करेंगे, राशि का व्यय पेंशन/वेतन मद में ही किया जायेगा।

22. नवनियुक्त शिक्षक जिनके अभिलेखो का सत्यापन हो चुका है, का भी भुगतान इस आवंटन राशि में से किया जा सकता है।

23. स्वीकृति/विमुक्ति वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका 06 (छः) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

24. प्रस्ताव पर संचिका संख्या–03/बजट–02/2026 के 14/टि0 पर दिनांक–31.07.2026 को वित्त विभाग एवं पृष्ठ 08–09/टि0 पर दिनांक–17.07.2026 विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

25. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

14/8/26

(शिशिर कुमार मिश्र)
सरकार के उप सचिव